न्यायालय द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश उत्पाद
रोहतास, सासाराम

राजपुर थाना काण्ड सं. 30/2020

टेंगारी यादव उर्फ बनारसी सिंह
बनाम
बिहार सरकार

06.10.2020 काराभियुक्त/आवेदक टेंगारी यादव उर्फ बनारसी सिंह की ओर से दिनांक 14.08.2020 को ऑन लाईन दाखिल जमानत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 437 द.प्र.संहिता पर सुनवाई पश्चात आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

काराभियुक्त/आवेदक टेंगरी यादव उर्फ बनारसी सिंह की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता का अभिकथन है कि आवेदक/अभियुक्त राजपुर थाना काण्ड सं. 30/2020 में धारा 30(a) बिहार मद्य निषेध एवं संशोधित उत्पाद अधिनियम 2018 के अन्तर्गत आरोपित है जिसमें वह दिनांक 31.07.2020 से न्यायिक अभिरक्षा में है तथा जमानत आवेदन पत्र की प्रति पूर्व में ही विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद रोहतास सासाराम श्री रामेश्वर सिंह को दी गयी है।

संक्षेप में अभियोजन का मामला सूचक संजय कुमार यादव पु.अ.नि. राजपुर के स्वलिखित आवेदन के आधार पर यह है कि सूचक दिनांक 24.02.2020 को विशेष अभियान में सशस्त्र बल एवं पुलिस पदाधिकारियों के साथ समय लगभग 17.10बजे राजपुर कचहरी मोड़ के पास थे तो सूचना मिली कि जीवन बाबा गली में टेंगारी यादव अपने मिट्टी तथा खपरा के पुराने मवेशी वाले घर में शराब छुपा कर रखें हुए है और वहीं से दूध वाले कमण्डल में छुपा कर शराब बेच रहा है। इस सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु स्थानीय चौकीदार महेन्द्र सिंह के सहयोग से जब टेंगारी उर्फ बनारसी सिंह के मिट्टी एवं खपरैल के पुराने घर के पास पहुंचे तो एक व्यक्ति गाड़ी की आवाज सुनकर बाहर निकला और पुलिस गाड़ी को देखते ही गली के रास्ते भागने में सफल रहा जिसके संबंध में स्थानीय चौकीदार द्वारा बतलाया गया कि वह टेंगारी यादव उर्फ बनारसी सिंह पिता केशव सिंह सा.+थाना राजपुर जिला रोहतास है। तत्पश्चात टेंगारी यादव उर्फ बनारसी सिंह के उक्त पुराने मिट्टी एवं खपरा के घर की तलाशी में सहयोग हेतु आस पास के लोगों से अनुरोध करने पर दो व्यक्ति दिलीप कुमार पिता स्व. विनोद सिंह एवं नन्दन महतो पिता स्व. राम राज महतो दोनों सा.+थाना राजपुर जिला रोहतास तलाशी हेतु तैयार हुए जिनके समक्ष तलाशी विधिवत तलाशी के नियमों का पालन करते हुए टेंगारी यादव उर्फ बनारसी सिंह पूरब रूख के मुख्य दरवाजे वाले तीन कमरों के रूम के दक्षिण पूरब वाले कमरे की तलाशी लेने पर उसके उत्तर दिवाल के सहारे रखे दो प्लास्टीक के बोरा में एक में 200 पाऊच तथा दूसरे में 160 पाऊच झारखण्ड उत्पाद देशी शराब प्रत्येक 200एम.एल. का बरामद किया गया तथा उक्त कमरे के उत्तर पूरब कोण में मिट्टी के नीचे गड्ढे में छिपा कर रखा हुआ 25 बोतल रॉयल स्टेग प्रत्येक 180एम.एल. का अंग्रेजी शराब बरामद किया गया। तलाशी के क्रम में जब उक्त घर के पश्चिमी कमरे की तलाशी लेने पर पूरब रूख के दरवाजा के सामने उत्तरी दीवाल के सहारे मिट्टी के घड़ेनुमा वर्तन में छिपा कर रखा हुआ 54 बोतल क्रेजी रोमियों प्रत्येक 180 एम.एल. का तथा कमरे दक्षिण पश्चिम कोण में मिट्टी के घड़ेनुमा वर्तन में छिपाकर रखा हुआ 94 बोतल बुंलेट देशी शराब प्रत्येक 300 एम.एल. का एवं उक्त कमरे के दक्षिण पूरब कोण में एक लकड़ी के बक्सा में छिपा कर रखा हुआ 9 बोतल बुलेट देशी शराब प्रत्येक 300एम.एल.का और 5560/रूपया शराब बिक्री का बरामद किया गया। उपरोक्त सभी बरामद शराब एवं पैसों को विधिवत जब्त कर जब्ती सूची बनाया गया तथा जब्ती सूची पर दोनों साक्षियों द्वारा स्वेच्छा से अपना अपना हस्ताक्षर बना दिया गया। बिहार में लागू पूर्ण शराब बंदी के बाद भी शराब का व्यवसाय एवं परिवहन तथा भंडारण एवं बिक्री करना संज्ञेय अपराध है जिसके आधार पर आरोपित करते हुए यह काण्ड अंकित किया गया।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का अभिकथन है कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है, उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गयाहै तथा घटनास्थल पर कोई भी घटना घटित नहीं हुई है। सम्पूर्ण अभियोजन कथन बनावटी, निराधार एवं मिथ्या है तथा गांव की गंदी ग्रामीण

लगातार

06.10.2020 राजनीति के कारण उसे इस मामला में पुलिस को मेल में लेकर दुश्मनीवश झूठा फंसा दिया गया है। आवेदक/अभियुक्त को घटना के दिन व समय पर घटनास्थल से गिरफ्तार नहीं किया गया है बल्कि अनुसंधान के दौरान उसे गिरफ्तार किया गया है। आवेदक/अभियुक्त के भौतिक कब्जा से उत्पाद संबंधी कोई मादक पदार्थ बरामद नहीं किया गया है और जब्ती सूची के अनुसार बरामद शराब से आवेदक/अभियुक्त का कोई संबंध नहीं है। आवेदक/अभियुक्त न तो शराब का सेवन करता हैं और न ही शराब का व्यवसाय या उसका परिवहन करता है। जब्ती सूची के सभी गवाह पुलिस कर्मी हैं, कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है।प्राथमिकी के अनुसार आवेदक/अभियुक्त के घर के कमरा से उक्त शराब बरामद किया गया था जिसका उल्लेख जब्ती सूची में वर्णित है, परन्तु जिस घर के कमरा से शराब बरामद होने की बात कही जाती है, उस घर में आवेदक/अभियुक्त नहीं रहता है। आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और बिना किसी विधिक साक्ष्य के न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक/अभियुक्त न्यायालय के आदेशानुसार बंधपत्र दाखिल करने हेतु तैयार है। अतः निवेदन है कि आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाए।

अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक उत्पाद रोहतास सासाराम जमानत आवेदन का विरोध करते हुये इसे अस्वीकृत किये जाने का अनुरोध करते है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुनने के पश्चात मेरे द्वारा अभिलेख एवं अभिलेख पर उपलब्ध काण्ड दैनिकी की कंडिका 1 ता 61 का परिशीलन किया गया। अभिलेख के परिशीलन से यह विदित होता है कि आवेदक/अभियुक्त प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है और इसके विरूद्ध राजपुर बाजार स्थित जीवन बाबा गली में आवेदक/अभियुक्त के पुराने मकान से विभिन्न ब्राण्डों का अवैध विदेशी एवं देशी शराब (72+4.5+30.9+9.720=117.12लीटर) जिसकी कुल मात्रा 117.12लीटर है बरामद किये जाने के साथ भण्डार करने का आरोप है। काण्ड दैनिकी की कंडिका 2में जब्ती सूची को उल्लेखित किया गया है जिससे यह विदित होता है कि घटना के दिन व समय पर धटनास्थल से उक्त अवैध शराब बरामद किया गया था जिसपर साक्षियों द्वारा भी अपना अपना हस्ताक्षर बनाया गया है। कंडिका 3 में वादी का पुनः बयान है तथा कंडिका 7,8,11,12 में जिन गवाहों का बयान धारा 161 द.प्र.संहिता में अंकित किया गया है, सभी ने घटना का समर्थन किया है। कंडिका 6 में घटनास्थल तथा कंडिका 36 एवं 37 में जब्त देशी एवं विदेशी शराब का जांच प्रतिवेदन को उल्लेखित किया गया है। कंडिका 57 में समीक्षात्मक टिप्पणी है जिसमें घटना को धारा 30(ए.) बिहार मद्य निषेध एवं संशोधित उत्पाद अधिनियम के तहत सत्य प्रतीत होता पाकर आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित करने का निर्देश काण्ड के अनुसंधानक को दिये गये है तथा कंडिका 60 से यह स्पष्ट है कि काण्ड के अनुसंधानक द्वारा अनुसंधान कार्य पूर्ण करने के पश्चात धारा 30(ए.) बिहार मद्य निषेध एवं संशोधित उत्पाद अधिनियम की धारा 2018 के अन्तर्गत आरोप पत्र समर्पित किया गया है तथा न्यायालय द्वारा आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध अपराध का संज्ञान लिया गया है तथा पूरे काण्ड दैनिकी में आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध कोई आपराधिक इतिहास उपलब्ध नहीं है।

उपरोक्त वर्णित सभी तथ्यों, परिस्थितियों, वाद की प्रकृति एवं लगाये गये आरोप की गम्भीरता तथा बरामद शराब की अत्याधिक मात्रा (117.12लीटर) एवं काण्ड दैनिकी में उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के पश्चात यह न्यायालय आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करना उचित नहीं समझती है। तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त की ओर से दाखिल नियमित जमानत आवेदन दिनांक 14.08.2020 को **अस्वीकृत** किया जाता है।

(लेखापित)

द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह
विशेष न्यायाधीश उत्पाद, रोहतास, सासाराम